भाकृअनुप- आई.आई.जी.आर, आर.आर.एस, बीकानेर में रबी 2026-27 सीजन में अनुबंध खेती के माध्यम से रबी फसलो (सरसों/जीरा/इसबगोल) के लिए सार्वजनिक नीलामी की शर्तें

1. भाकृअनुप-भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान (आई.आई.जी.आर), क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आर.आर.एस), बीकानेर में लगभग 30 बीघा (1 बीघा:2500 m^2) भूमि रबी 2026-27 के लिए अनुबंध पर दी जानी है। यह क्षेत्रफल घट-बढ़ भी सकता है। भुगतान वास्तविक बुवाई विस्तार पर करना होगा ।
2. बीज, खाद-उर्वरक, दवा, कीटनाशक, मजदूरी एवं अन्य जरुरी कृषि उपकरण, ट्रेक्टर सभी खर्च अनुबंध के आधार पर भूमि रखने वाले किसान/फर्म को करना होगा ।
3. अनुबंध के आधार पर भूमि पर केवल भारतीय मूँगफली अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्देशित फसल (सरसों/जीरा/इसबगोल) की ही बुवाई करनी होगी ।
4. फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसान /फर्म की होगी ।
5. भूमि जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दी जाएगी और आवश्यक सभी कृषि कार्य अनुबंध के आधार पर भूमि अनुबंध धारक व्यक्ति को करना होगा । सीजन समाप्त होने के बाद, भूमि को उसी स्थिति में वापस करना होगा जिस स्थिति में इसे लिया गया था ।
6. कार्यालय द्वारा दिए गए दो ट्यूबवेल मोटरों को एक बार सही स्थिथि में चालू करके दिखाया जाएगा, उसके बाद फिर मोटर, पाईपलाईन, पाईप, फुवारों की मरम्मत आदि की सारी जिम्मेदारी किसान / फर्म की होगी और अंत में भूमि सौंपते समय सभी पानी की मोटरों को चालू हालत में कार्यालय को सौंपना होगा।
7. अनुबंधित समय के दौरान वर्षा, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भूमिधारक/फर्म की होगी।
8. कार्यालय की तरफ से ज़मीन, बिजली, सिंचाई के लिए पानी और सिंचाई के लिए आवश्यक पाइप और फुवारें निशुल्क दिए जायेगे, कोई अतिरिक्त पाइप उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जिन्हें कार्य पूर्ण होने के बाद, उन्हें स्टैंड पर व्यवस्थित रखना होगा ।
9. भूमि की कुल अवधि 15-10-2026 से 15-04-2027 तक या फसल कार्य पूर्ण होने तक रहेगी ।
10. यदि पूरे फसल मौसम के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी होती है, तो अनुबंधित भूमिधारक इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, आई.आई.जी.आर. कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।
11. कार्यालय में रहने के लिए भूमिधारक/फर्म को अपनी व्यस्था स्वय करनी होगी ।
12. यदि सीजन के दौरान संस्थान की किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो अनुबंधित भूमिधारक को उसकी मरम्मत करानी होगी।

13. सभी प्रकार के भुगतान कार्यालय में ऑनलाइन/आरटीजीएस के माध्यम से करने होंगे।
14. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को शर्तों को पढ़कर एवं समझकर प्रति बीघा (2500 m^2) का मूल्य भरना होगा (जिसमें बिजली का बिल भी शामिल रहेगा, बिजली का बिल अलग से नहीं लिया जाएगा) ।
15. सफल बोलीदाता को एक सप्ताह के भीतर कुल नीलामी राशि का 25% जमा करना होगा, तभी भूमि पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, शेष 75% फसल की कटाई के बाद कार्यालय को जमा करना होगा, तभी फसल/बीज को संस्थान से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी ।।
16. प्रभारी,आईआईजीआर-क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर द्वारा बताई गयी शर्तें ही मान्य होगी ।
17. निदेशक, आईआईजीआर जूनागढ़ को बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रभारी, आई.आई.जी.आर.,
क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, बीकानेर